कार्यालय प्रधानाचार्य:: जी0 एस0 वी0 एम0 मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या–181/ई0सी0–1/एन0डी0/2025

दिनांक 25/05/2025

–: सूचना :–

शासन के पत्र संख्या–148/71–1–24/71–1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदो को संविदा के आधार पर वाक–इन–इन्टरव्यू माध्यम से चयन के मामलों में नियुक्ति/तैनाती व अभ्यर्थियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञप्ति संख्या–01/एन0डी0/2025 दिनाक 01–01–2025 के सन्दर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागो/ट्रामा सेन्टर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति की गयी है, जिसके आधार पर रोगी के उपचार/एन0एम0सी0 (एम0सी0आई0) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी0एम0एस0एस0वाई0) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों का संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक–इन–इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रो के साथ विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात माह के बुद्धवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार **दिनांक 25, 26, एवं 27–06–2025** को परीक्षा हाल–3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं–04:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अभ्यर्थियो को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रो तथा एन0एम0सी0 की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजीडेन्सी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम0ई0टी0/बी0सी0बी0आर0 प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www. gsvmmedical college.com पर उपलब्ध है। पदो की संख्या घट बढ सकती है।

क्र0 सं0	विशिष्टता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षको की रिक्त पदो की संख्या								
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक
1	आर्थोपैडिक्स	1 ट्रामा	अनारक्षित	(4)	1 1	ओ0बी0सी0 अनारक्षित	(57) (58)	1	एस0सी0	(83)
2	आप्थलमोलॉजी	0	0	0	1 1	एस0सी0 ई0डब्ल्यू0एस0	(59) (60)	1	अनारक्षित	(104)
3	आब्सट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलाजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	इम्यूनो हिमेटोलाजी एण्ड ब्लड ट्रासफ्यूजन मेडिसिन	1	अनारक्षित	(54)	0	0	0	0	0	0
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	ओ0बी0सी0	(55)	1 1	अनारक्षित ओ0बी0सी0	(66) (67)	1 1 1	ई0डब्ल्यू0एस0 एस0सी0 अनारक्षित	(110) (111) (112)
6	एन्डोक्रायनोलॉजी (फैल्यूएसवाई)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ0बी0सी0	(37)	1	एस0सी0	(59)
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1 1 1 1 1 1	ओ0बी0सी0 ई0डब्ल्यू0एस0 ओ0बी0सी0 अनारक्षित अनारक्षित ओ0बी0सी0	(39) (40) (51) (78) (86) (87)
8	एनेस्थीसिया	0	0	0	1 1 1 1 1 1 1	अनारक्षित ओ0बी0सी0 अनारक्षित एस0सी0 ई0डब्ल्यू0एस0 ओ0बी0सी0 अनारक्षित	(8) (9) (68) (69) (70) (71) (72)	1 1ट्रामा 1(न्यूरो सर्जरी) 1 1 1 1	ओ0बी0सी0 अनारक्षित एस0सी0 अनारक्षित एस0सी0 अनारक्षित ओ0बी0सी0	(9) (14) (15) (114) (115) (116) (119)
9	आई0सी0यू0एनेस्थीसियोलॉजी (फैल्यूएसवाई)	0	0	0	1	ओ0बी0सी0	(39)	1	ओ0बी0सी0	(61)
10	ओटो लैरिंगोलॉजी(ई0एन0टी0)	1	ओ0बी0सी0	(57)	0	0	0	0	0	0
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1 1 1 1स्टैटिक्स कम सहा0 1 मेडि0आफी0 आफ हेल्थ कम प्रवक्ता/सहायक आचार्य	ओ0बी0सी0 ओ0बी0सी0 एस0सी0 एस0सी0 ई0डब्ल्यू0एस0	(19) (81) (121) (159) (160)
12	क्रिटिकल केयर आई0सी0यू0 (फैल्यूएसवाई)	1	ई0डब्ल्यू0एस0	(40)	0	0	0	1	अनारक्षित	(62)
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1 1 1 1 1 1 1 1 गैस्टोलाजी	अनारक्षित ओ0बी0सी0 अनारक्षित ई0डब्ल्यू0एस0 ओ0बी0सी0 अनारक्षित एस0सी0 एस0सी0	(76) (77) (78) (80) (81) (104) (105) (31)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ई0डब्ल्यू0एस0 एस0सी0 एस0टी0 अनारक्षित एस0सी0 अनारक्षित ओ0बी0सी0 एस0सी0 अनारक्षित ओ0बी0सी0 अनारक्षित एस0सी0 अनारक्षित ओ0बी0सी0	(20) (41) (47) (52) (53) (54) (55) (63) (64) (123) (124) (125) (126) (127)
14	जनरल सर्जरी	0	0	0	1 1 1 1 1	ओ0बी0सी0 अनारक्षित ओ0बी0सी0 अनारक्षित एस0सी0	(85) (86) (87) (88) (89)	1(ट्रामा) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	अनारक्षित ओ0बी0सी0 एस0सी0 ई0डब्ल्यू0एस0 ओ0बी0सी0 ई0डब्ल्यू0एस0 एस0सी0 ओ0बी0सी0 अनारक्षित ओ0बी0सी0 अनारक्षित एस0सी0	(24) (65) (99) (100) (129) (130) (131) (165) (166) (167) (168) (169)
15	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1 1 1	अनारक्षित ई0डब्ल्यू0एस0 अनारक्षित	(54) (90) (106)	1	अनारक्षित	(134)
16	डर्मिटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी0डी0)	1	ओ0बी0सी0	(65)	0	0	0	1	एस0सी0	(135)
17	डन्टल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	न्यूरोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	ओ0बी0सी0	(27)
19	न्यूरोसर्जरी	0	0	0	1	एस0सी0	(111)	0	0	0
20	न्यूरो रेडियोलाजी (फैल्यूएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0

.....2

21	नेफ्रोलाजी, (मेडिसिन) नेफ्रोलॉजी(पीएमएसएसवाई)	1	ओ0बी0सी0	(27)	0	0	0	0 1	0 एस0सी0	0 (69)
22	पीडियाट्रिक्स	1	अनारक्षित	(66)	1 1 1 1	अनारक्षित एस0सी0 अनारक्षित ओ0बी0सी0	(92) (93) (94) (95)	1(चाइल्डसाइकोलाजिस्ट) 1 सहायक आचार्य कम स्नीय फिजाजिस्ट 1 1 1 1 1	ई0डब्लू0एस0 ई0डब्लू0एस0 ओ0बी0सी0 ई0डब्लू0एस0 एस0सी0 ई0डब्लू0एस0 ओ0बी0सी0	(30) (70) (139) (140) (141) (170) (171)
23	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एस0सी0	(45)	1	एस0टी0	(47)	1	ओ0बी0सी0	(71)
24	पैथालाजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	फार्माकालाजी	1	एस0सी0	(49)	1	एस0सी0	(25)	1 1	एस0सी0 एस0सी0	(93) (173)
26	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0
27	फिजियोलाजी	0	0	0	0	0	0	1 1	अनारक्षित एस0सी0	(94) (145)
28	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1 1	अनारक्षित अनारक्षित	(96) (146)
29	बायोकेमिस्ट्री	0	0	0	1	अनारक्षित	(96)	1	अनारक्षित	(174)
30	माइक्रोबायलाजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	यूरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	रेडियोडायग्नोसिस	1	ओ0बी0सी0	(37)	1 1 1 1 1 1	ई0डब्लू0एस0 अनारक्षित एस0सी0 ई0डब्लू0एस0 एस0सी0 अनारक्षित	(30) (98) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ओ0बी0सी0 अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित एस0सी0 अनारक्षित ओ0बी0सी0 अनारक्षित ओ0बी0सी0	(37) (38) (58) (152) (153) (154) (155) (156) (157)
33	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	ओ0बी0सी0	(103)	1फिजिसिस्ट	ओ0बी0सी0	(161)
		14			49			81		

उक्त पदो पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत है:–

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0–2,20,000/–,सह आचार्यों का नियत वेतन रू0–1,60,000/–, सहायक आचार्यों को नियत वेतन रू0–1,20,000/– एवं प्रवक्ता फार्मेसी पद हेतु–रू0 75000/– प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताए एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. शासनादेश संख्या– 2282/71–1–2013–जी–11/2011 दिनांक 23–09–2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश सं0–562/71–1–2020–जी–63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती अभ्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
5. चिकित्सा शिक्षको की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)–2018 एवं समय–समय पर पूर्व मे निर्गत सेवा नियमावली मे नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
6. ओपीडी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षको को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
8. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
9. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षको को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत् हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
10. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
11. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
12. ऐसे चिकित्सा शिक्षको का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्राकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
15. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
16. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
17. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्ते ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जावे। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
18. अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नही है, यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी।
19. उ0प्र0शासन, कार्मिक अनुभाग–2, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी.सी.–II दिनांक 18–02–2019 के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय रू0 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
20. सुपर स्पेशियलिटी के पदो की शैक्षिक अर्हता नवीन एन0एम0सी0 गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
21. सुपर स्पेशियलिटी के पदो का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
22. जो अभ्यर्थी एम0डी0/एम0एस0 के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज,कानपुर

सं0– 181 /तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेवसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
2– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
3– नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को बेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज,कानपुर